न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–48/2014

CIS NO.- TS 295/2018

मदन प्रसाद.....वादी

बनाम

बैजनाथ पासवान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.04.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 17.01.2026 को दाखिल किया गया जिसका प्रतिउत्तर वादी द्वारा दिनांक 11.03.2026 को दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 11.03.2026 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.01.2026 में निवेदन किया गया है कि मुदालह की ओर से इस वाद में अपने कागजात पूर्व में जमा कराये गए है जो अभिलेख पर है और जिन्हें मुदालह की ओर से प्रदर्श अंकित कराना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से खेष्टा बैयनामा दिनांक 11.09.1948 नविस्ते विसुनलाल बनाम मुदालह दाखिल किया है। यह दस्तावेज 30 वर्षो से अधिक पुराना है, लिहाजा इसे साबित करने के लिए औपचारिक साक्षी की जरूरत नहीं है। मुदालह की ओर से भूमि सुधार उप–समाहर्ता, नरकटियागंज के द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–184/2013–14 में पारित आदेश फलक दिनांक 25.03.2014 से दिनांक 31.03.2014 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। इसे लोक दस्तावेज होने के आधार पर मुदालह की ओस से प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त कागजात को मुदालह की ओर से प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रतिउत्त्र दिनांक 11.03.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि प्रतिवादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी की गवाही समाप्त हो चुकी है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में दिनांक 11.09.1948 का कथित खेस्टा बैनामा को क्या रिलिवेन्सी है का वर्णन नहीं किया है तथा यह भी नहीं बताया है कि कथित खेस्टा किसी भूमि से संबंधित है। प्रतिवादी को सही अभिरक्ष्ज्ञा को साबित कराना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिवादी को अभिलेख को साक्ष्य पर लाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 17.01.2026 को खारिज करने की कृपा किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–48/2014

CIS NO.- TS 295/2018

मदन प्रसाद.....वादी

बनाम

बैजनाथ पासवान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.04.2026	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन दिनांक 17.01.2026 के माध्यम से निवेदन किया है कि खेष्टा बैयनामा दिनांक 11.09.1948 नविस्ते विसुनलाल बनाम मुदालह एवं भूमि सुधार उप–समाहर्ता, नरकटियागंज के द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–184/2013–14 में पारित आदेश फलक दिनांक 25.03.2014 से दिनांक 31.03.2014 की सच्ची प्रतिलिपि को मुदालह की ओर से प्रदर्श अंकित किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 17.01.2026 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 04.06.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	